जिला जन संपर्क कार्यालय,रतलाम

समाचार

रतलाम विकासखंड में गतवर्ष से अधिक वर्षा

------- **रतलाम 31 जुलाई 2010**

जिले में बीते 24घंटे के दौरान हुई औसत 26मि.मी.वर्षा को मिलाकर अब तक 253.6मि.मी.औसत वर्षा हो चुकी है।जिला गतवर्ष इस अवधि तक हुई 386.1मि.मी.वर्षा से 132.5मि.मी.पीछे है।इस वर्ष हुई वर्षा में रतलाम विकासखंड में गत वर्ष के मुकाबले 12.4 मि.मी. अधिक वर्षा दर्ज की गई है।

बीते 24घंटे के दौरान आलोट में 46.2मि.मी.,जावरा विकासखंड में 23मि.मी.,पिपलौदा में 11मि.मी., बाजना में 25मि.मी.,रतलाम में 37.4मि.मी.तथा सैलाना में 13.2मि.मी.वर्षा दर्ज की गई। इस वर्ष आलोट विकासखंड में 230.6मि.मी.वर्षा हो चुकी है जो गतवर्ष इसी अवधि तक हुई 375.3 मि.मी.वर्षा से 144.7मि.मी.कम है।जावरा में इस वर्ष 215.2मि.मी.वर्षा गतवर्ष की 297मि.मी.से 81.8मि.मी.कम है।पिपलौदा विकासखंड में इस वर्ष 143 मि.मी. वर्षा हुई है जो गत वर्ष की वर्षा 466 मि.मी.के मुकाबले 323मि.मी. कम है। बाजना विकासखंड में अब तक 265 मि.मी.वर्षा हुई है जो गत वर्ष की 374मि.मी. से 109 मि.मी.कम है।रतलाम विकासखंड में इस वर्ष अब तक 426.8 मि.मी.वर्षा हो चुकी है जो गतवर्ष इसी अवधि तक हुई 414.4मि.मी.वर्षा से 12.4मि.मी.अधिक है।सैलाना विकासखंड में इस वर्ष 240.8मि.मी.वर्षा हुई है जो गत वर्ष की वर्षा 390.5 मि.मी. के मुकाबले 149.7 मि.मी.कम है।

क्रमांक 881/2010 ---------

सिविल सेवा में सफल होने पर मिलेगी प्रोत्साहन राशि

----------- **रतलाम 31 जुलाई 2010**

अनुसूचित जाति,जनजाति तथा पिछडे वर्गो के सिविल सेवा परीक्षा में सफल होनेवाले अभ्यर्थियों को प्रोत्साहन राशि मिलेगी।यह जानकारी देते हुए सहायक आयुक्त आदिवासी विकास श्री जे.पी.यादव ने बताया कि इसके लिए मध्यप्रदेश शासन व्दारा सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना लागू की गईहै।इस योजना का उद्देश्य इन वर्गो के युवाओं को मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग तथा संघ लोक सेवा आयोग व्दारा आयोजित राज्य सेवा परीक्षा एवं सिविल सेवा परीक्षा के माध्यम से भरे जाने वाले उच्च पदों की ओर प्रोत्साहित करना है।

योजना के अंतर्गत प्रोत्साहन राशि इन परीक्षाओं के विभिन्न चरणों में सफल होने पर प्रदान की जाती है। प्रारंभिक परीक्षा में सफल होने पर राज्य सेवा परीक्षा हेतु अजा-जजा वर्ग के अभ्यर्थी को 20हजार रूपए तथा अन्य पिछडा वर्ग के अभ्यर्थी को 15हजार रूपए,सिविल सेवा परीक्षा संघ लोक सेवा आयोग हेतु अजा-जजा वर्ग के अभ्यर्थी को 40 हजार रूपए तथा पिछडा वर्ग के अभ्यर्थी को 25हजार रूपए दिए जाएंगे। इसीतरह मुख्य परीक्षा में सफल होने पर राज्य सेवा परीक्षा हेतु अजा-जजा वर्ग के अभ्यर्थी को 30हजार रूपए तथा पिछडा वर्ग के अभ्यर्थी को 25 हजार रूपए,सिविल सेवा संघ लोक सेवा आयोग परीक्षा हेतु अजा-जजा वर्ग के अभ्यर्थी को 60 हजार रूपए तथा पिछडा वर्ग के अभ्यर्थी को 50हजार रूपए प्रदान किए जाएंगे।साक्षात्कार उपरांत चयन होने पर राज्य सेवा में सफल अजा-जजा वर्ग के अभ्यर्थी को 25हजार रूपए पिछडावर्ग के अभ्यर्थी को 10हजार रूपए तथा सिविल सेवा संघ लोक सेवा आयोग परीक्षा में सफल होने पर अजा-जजा के अभ्यर्थी को 50हजार रूपए तथा पिछडा वर्ग के अभ्यर्थी को 25 हजार रूपए प्रदान किए जाएंगे।

श्री यादव ने बताया कि इस योजना के लाभ के लिए मुख्य शर्तो में अभ्यर्थी को मध्यप्रदेश राज्य के लिए घोषित अनुसूचित जाति,अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछडा वर्ग की सूची में सम्मिलित होने संबंधी जाति प्रमाण पत्र, परीक्षा में सफल होने का प्रमाण पत्र,माता-पिता या अभिभावक का आय प्रमाण पत्र,मूल निवासी का प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी।यह राशि प्रथम बार सफल होने के लिए है।द्वितीय बार सफल होने पर इस राशि की आधी राशि प्रदाय किए जाने का प्रावधान है।उन्होने बताया कि गतमाह राज्य सेवा मुख्य परीक्षा का परिणाम,मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग इंदौर व्दारा घोषित किया गया है।इस परीक्षा परिणाम के अनुसार अ.जा.,अ.ज.जा.तथा पिछडा वर्ग के सफल अभ्यर्थी सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना की शर्ते पूर्ण करने की स्थिति में योजना के लाभ के लिए आवेदन मय आवश्यक अभिलेखों के कार्यालय सहायक आयुक्त आदिवासी विकास आनंद कालोनी रतलाम में प्रस्तुत कर सकते है। अधिक जानकारी एवं आवेदन पत्र कार्यालयीन समय में व्यक्तिगत रूपसे उपस्थित होकर प्राप्त किया जा सकता है।

क्रमांक 882/2010 --------

जिला जन संपर्क कार्यालय,रतलाम

समाचार

दूध विक्रेताओं की जांच कर नमूने लिए गए

------- **रतलाम 31 जुलाई 2010**

कलेक्टर श्री राजेन्द्र शर्मा के निर्देशानुसार खाद्य एवं औषधि प्रशासन तथा नगर निगम के कार्यपालिक अधिकारियों व्दारा संयुक्त रूप से जांच दल गठित कर ग्रामीण क्षेत्र से रतलाम नगर आनेवाले दूध हाकर्स की 31जुलाई को प्रातः6 बजे से 9 बजे तक जांच की गई। इस दौरान सात दूध हाकर्स से दूध के सेम्पल जांच हेतु लिए गए। उक्त सेम्पल परीक्षण हेतु प्रयोगशाला को भेजे गए है।

जांच दल व्दारा मेसर्स माँ भगवती दूध भंडार सैलाना रोड रतलाम,दूध हाकर्स श्री गोपाल पाटीदार निवासी धामनोद,श्री रामस्वरूप जोशी निवासी मुखर्जीनगर, श्री रामचन्द्र निवासी करोलीखुर्द, श्री राजेन्द्रसिंह निवासी बर्मनखेडी, श्री बलदेव निवासी पंचेड,व श्री बबलू निवासी सेजावता आदि से लाई जा रही दूध की केनों में से नमूने लिए गए। संबंधित के दोषी पाए जाने पर पी.एफ.एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। जांच दल में श्री बी.एस. तडवाल सहायक आपूर्ति अधिकारी, खाद्य एवं औषधि प्रशासन श्री जामोद,श्री एम.के. जैन, श्री रावत,व श्री कमलेश डावर तथा नगर पालिका निगम के स्वास्थ्य निरीक्षक श्री अरविन्द शामिल थे

क्रमांक 883/2010 -----

निःशक्त पेंशन योजना की राशि जारी

------- **रतलाम 31 जुलाई 2010**

जिला पंचायत रतलाम व्दारा नगर पंचायत बड़ावदा के 71 निःशक्त हितग्राहियों की पेंशन के लिए 42 हजार 600रूपए की राशि जारी की गई है। इसीतरह नगर पंचायत सैलाना तथा धामनोद के लिए राष्ट्रीय परिवार सहायता योजनांतर्गत 10-10 हजार रूपए की राशि जारी की गई है।

क्रमांक 884 /2010 -----

डुप्लीकेट फोटो पहचान पत्रों की दर निर्धारित

------------- **रतलाम 31 जुलाई 2010**

मतदाताओं को फोटो पहचान पत्र तैयार कर प्रदान करने का कार्य जिला निर्वाचन कार्यालय व्दारा किया जा रहा है। ऐसे निर्वाचक जिनके फोटो पहचान पत्र गुम हो गए है,नष्ट हो गए है या क्षतिग्रस्त हो गए है। उनके व्दारा डुप्लीकेट फोटो पहचान पत्र प्राप्त करने का अनुरोध किया जाता है तो निर्धारित आवेदन पत्र प्राप्त कर प्रक्रिया के तहत फोटो पहचान पत्र उपलब्ध कराया जाएगा। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी मध्यप्रदेश व्दारा इस संबंध में दिए गए निर्देशों के अनुसार डुप्लीकेट फोटो पहचान पत्र प्राप्त करने के लिए राज्य में 20 रूपए की राशि का निर्धारण किया गया है।

क्रमांक 885/2010 -----

इंस्पायर अवार्ड कार्यक्रम का शुभारंभ एक अगस्त को

------------ **रतलाम 31 जुलाई 2010**

इंस्पायर अवार्ड कार्यक्रम के तहत जिलास्तरीय विज्ञान प्रदर्शनी का उद्घाटन उत्कृष्ट विद्यालय सागोद रोड पर एक अगस्त को दोपहर 12.30 बजे नगरीय प्रशासन एवं विकास राज्यमंत्री श्री मनोहर ऊंटवाल के मुख्य आतिथ्य में होगा। समापन समारोह 3 अगस्त को दोपहर 3 बजे उत्कृष्ट विद्यालय परिसर में महापौर श्री शैलेन्द्र डागा के मुख्य आतिथ्य में आयोजित होगा।

क्रमांक 886/2010 -------